पटना में दिनांक–28 जनवरी, 2020 मंगलवार को अपराह्न 06:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये:–

कृषि विभाग

1. राज्य स्कीम के अधीन जैविक खेती प्रोत्साहन योजनान्तर्गत जैविक कोरिडोर के पूर्व से स्वीकृत 12 जिलों के अतिरिक्त कटिहार जिला में जैविक खेती हेतु अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण की योजना का वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2021–22 तक तीन वर्षों के लिए कुल 663.18 लाख (छः करोड़ तिरसठ लाख अठारह हजार) रू० की लागत पर कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल 198.28 लाख (एक करोड़ अंठानवे लाख अठाईस हजार) रू० की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

1. **स्वीकृत।**

कृषि विभाग

2. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना हरित क्रांति योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल 8746.00 लाख रूपये (सतासी करोड़ छयालीस लाख रूपये) {केन्द्रांश 5205.00 लाख रूपये (बावन करोड़ पांच लाख रूपये) एवं राज्यांश 3470.00 लाख रूपये (चौंतीस करोड़ सत्तर लाख रूपये) एवं राज्य योजना 71.00 लाख रूपये (इकहत्तर लाख रूपये)} की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

2. **स्वीकृत।**

कृषि विभाग

3. संयुक्त कृषि भवन मुंगेर के निर्माण हेतु कुल 796.13 लाख (सात करोड़ छियानवे लाख तेरह हजार) रूपये के पुनरीक्षित प्राक्कलन पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस योजना के लिए स्वीकृत एवं अव्यवहृत अवशेष राशि कुल 574.45 लाख (पाँच करोड़ चौहत्तर लाख पैतालीस हजार) रूपये का वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय करने तथा चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल 221.68 लाख (दो करोड़ एक्कीस लाख अड़सठ हजार) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

3. **स्वीकृत।**

कृषि विभाग

4. राज्य स्कीम मद से "जल–जीवन–हरियाली अभियान" अंतर्गत खेत में जल संचयन एवं कृषि प्रबंधन की योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल 6000.00 लाख (साठ करोड़) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

4. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

5. मंडई वीयर एवं उससे निकलने वाली बायें एवं दायें मुख्य नहर प्रणाली तथा संरचनाओं के निर्माण कार्य की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि 232.8382 करोड़ रूपये (दो अरब बत्तीस करोड़, तिरासी लाख बेरासी हजार) मात्र के व्यय हेतु निर्गत स्वीकृत्यादेश में निर्धारित नाबार्ड शीर्ष विपत्र कोड–49– 4700800510104 के स्थान पर योजना के अवशेष कार्य का व्यय वित्तीय वर्ष 2019–20 से राज्य योजना अंतर्गत शीर्ष/विपत्र कोड से भारित करने की स्वीकृति। 5. **स्वीकृत।**

गन्ना उद्योग विभाग

6. गन्ना उद्योग विभाग अराजपत्रित संवर्ग के (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली 2016 के आलोक में गन्ना उद्योग विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग में उच्चवर्गीय लिपिक एवं प्रधान लिपिक के पदों के सम्परिवर्तन के प्रस्ताव पर स्वीकृति। 6. **स्वीकृत।**

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

7. जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2018 के आलोक में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग) भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अधीन राज्य के चीनी मिलों में स्थापित छोआ आधारित आसवनियों को बी०–हैवी मोलासेस (B-Heavy Molasses) से इथनॉल उत्पादन की स्वीकृति। 7. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

8. अररिया जिलान्तर्गत अंचल अररिया के मौजा–हड़िया, थाना सं०–196, खाता नं०–388/871 के खेसरा सं०–1033 में स्थित में कुल रकबा–30.00 (तीस) एकड़ बिहार सरकार की भूमि किस्म गैरमजरूआ खास, पुलिस लाईन की स्थापना हेतु गृह विभाग, बिहार को निःशुल्क हस्तान्तरण के संबंध में। 8. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

9. जहानाबाद जिलान्तर्गत वाणावर पर्वत रोप–वे निर्माण हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग की भूमि मौजा–सुलतानपुर, थाना नं०–656, खाता सं०–382, खेसरा सं०–04 एवं 603, रकबा क्रमशः 1.141 एवं 1.554, कुल रकबा–2.695 हेक्टेयर भूमि के अपयोजित किए जाने तथा पर्यटन विभाग को निःशुल्क भू–हस्तान्तरण किए जाने तथा इसके विरूद्ध उतनी ही भूमि मौजा–सुलतानपुर, थाना नं०–656, खाता सं०–382, प्लॉट सं०–400, कुल रकबा–12.61 एकड़ गैरमजरूआ मालिक परती कदीम में से कुल रकबा– 2.695 हेक्टेयर (6.73 एकड़) गैर वन भूमि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरण के संबंध में। 9. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

10. बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना के क्षेत्रीय कार्यालय पूर्णियां हेतु 6 (छः) पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। **10. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

11. मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बहिरा में अवस्थित मध्य विद्यालय भदौरा को सामाजिक व्यवहारिकता के आधार पर उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमण करने की स्वीकृति के संबंध में। **11. स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग

12. समाज कल्याण विभाग अंतर्गत विभिन्न वर्ग समूहों के लाभुकों यथा बालक, बालिका, शिशु के आवासन एवं पुनर्वास हेतु आश्रय गृहों की स्थापना एवं उसके समुचित संचालन के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बाल आश्रय विकास योजना की स्वीकृति तथा सम्प्रति 12 परियोजना परिसरों में (यथा–परिशिष्ट–1) प्रति परियोजना 200 लाभुकों के लिए 29.7137 करोड़ (उनतीस करोड़ एकहत्तर लाख सैंतीस हजार) रू० की लागत पर (यथा–परिशिष्ट–02) वृहद आश्रय गृहों के निर्माण एवं सुसज्जिकरण हेतु कुल अनावर्ती 356.5644 करोड़ (तीन सौ छप्पन करोड़ छप्पन लाख चौवालीस हजार) रू० के व्यय, जो आवश्यकतानुसार केन्द्रांश की पर्याप्त राशि न उपलब्ध होने पर राज्यांश/राज्य योजना से वहन किया जायेगा, की स्वीकृति के संबंध में। **12. स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग

13. श्रीमती शिप्रा सिन्हा, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सहार, भोजपुर सम्प्रति निलंबित निलंबन अवधि का मुख्यालय–जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का कार्यालय सिवान को "सेवा समाप्ति" की शास्ति की स्वीकृति के संबंध में। **13. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

14. षष्ठम राज्य वित्त आयोग के अवधि विस्तार के संबंध में। **14. स्वीकृत।**

योजना एवं विकास विभाग

(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

15. बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग नियमावली–2020 की स्वीकृति के संबंध में। **15. स्वीकृत।**

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

16. वर्तमान में संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना से अनाच्छादित रू0 1.50 लाख से अधिक एवं 2.50 लाख तक की वार्षिक आय अधिसीमा के तहत अर्हता रखने वाले अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृति प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 से "मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना" की स्वीकृति एवं योजना का क्रियान्वयन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने की स्वीकृति — **16. स्वीकृत।**

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

17. जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजनान्तर्गत लखीसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, खगड़िया, सीवान एवं वैशाली जिला में छात्रावास निर्माण हेतु बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना से प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन कुल ₹ 26,09,80,000/–(छब्बीस करोड़ नौ लाख अस्सी हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा योजना लागत में हुई वृद्धि के फलस्वरूप अंतर राशि ₹12,75,88,000/–(बारह करोड़ पचहत्तर लाख अट्ठासी हजार) मात्र का वहन बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के द्वारा Corporate Social Responsibility के तहत किये जाने की स्वीकृति। — **17. स्वीकृत।**

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

19. राज्य में स्थापित बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना एवं इनके अधीन सभी अंगीभूत संस्थानों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को क्रमशः I.C.A.R एवं राज्य कर्मियों के अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति के संबंध में। — **19. स्वीकृत।**

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

20. बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं के सेवानिवृत/मृत शिक्षकों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन को भारत सरकार के पुनरीक्षण आदेश के आलोक में पुनरीक्षित करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **20. स्वीकृत।**

परिवहन विभाग

21. परिवहन विभाग हेतु बिहार परिवहन सेवा नियमावली, 2020 के गठन के संबंध में। — **21. स्वीकृत।**

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

22. बिहार राज्य के वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष के लिए विशेष व्याघ्र संरक्षण बल गठित करने हेतु 01 सहायक वन संरक्षक, 03 वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, 18 वनपाल तथा 90 टाईगर गार्ड (वनरक्षी के समकक्ष) के अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — **22. स्वीकृत।**

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

23. वन्यप्राणियों के संरक्षण, प्रबंधन एवं शैक्षणिक कार्यों हेतु वरीय प्रकृति शिक्षा पदाधिकारी–01, प्रकृति शिक्षा पदाधिकारी–02, जू–शिक्षा पदाधिकारी–01, सहायक प्रकृति शिक्षा पदाधिकारी–03, वन्यप्राणी जैव वैज्ञानिक– 03, 3डी थियेटर टेकनीशियन–03 एवं प्रदर्शनी सहायक– 01, पशुधन सहायक–05 तथा टेकनीशियन–02 कुल–21 पदों की स्वीकृति के संबंध में। **23. स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

24. श्री महेश राम, तत्कालीन चकबंदी पदाधिकारी, सासाराम (रोहतास) को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। **24. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

27. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) के अन्तर्गत बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति (BSACS) के द्वारा राज्य स्तर से लेकर उपकेन्द्र स्तर तक अनुबंध पर नियुक्त एवं कार्यरत सभी प्रकार के पदों पर कार्यरत कर्मियों की सेवावधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रित को राज्य सरकार की योजनान्तर्गत रू० 4,00,000/–(चार लाख) मात्र के अनुग्रह अनुदान की राशि की स्वीकृति के संबंध में। **27. स्वीकृत।**

उद्योग विभाग

29. राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवा एवं युवतियों के साथ–साथ अति पिछड़ा वर्ग के युवा–युवतियों को भी सुक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की स्वीकृति संबंधी निर्गत संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक–17.05.2018 में संशोधन एवं अति पिछड़ा वर्ग हेतु रू० 102.50 करोड़ की योजना स्वीकृति का प्रस्ताव। **29. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

30. लोकनायक जय प्रकाश नारायण, हड्डी रोग अतिविशिष्ट अस्पताल, राजबंशीनगर, पटना, न्यू गार्डिनर रोड इन्डोक्रॉयोनोलॉजी अतिविशिष्ट अस्पताल, पटना एवं राजेन्द्र नगर, नेत्र रोग अतिविशिष्ट अस्पताल, पटना में योग्य निदेशकों का पदस्थापन करने के संबंध में। **30. स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

31. बक्सर, आरा एवं पटना जिला अन्तर्गत गंगा नदी के दॉये एवं बायें किराने कराये जाने वाले कटाव निरोधक एवं पुर्नस्थापन कार्य (प्राक्कलित राशि रू० 6787.06 लाख) (सड़सठ करोड़ सतासी लाख छः हजार रूपये मात्र) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। **31. स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

32. बाढ़ 2020 पूर्व भागलपुर एवं कटिहार जिला अन्तर्गत गंगा नदी के बायें एवं दाये तट के विभिन्न स्थलों पर कटाव निरोधक कार्य, जिसकी प्राक्कलित राशि ₹7714.47 लाख (सतहत्तर करोड़ चौदह लाख सैंतालीस हजार) मात्र है, के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव।

32. **स्वीकृत।**